# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
# सरयू नहर खण्ड–खलीलाबाद
# संत कबीर नगर।

## ई–टेन्डरिंग सूचना संख्या– 01/अधि0अभि0/2019–20

महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से निम्नलिखित कार्यों हेतु ऑन लाइन **http://etender.up.nic.in** के माध्यम से प्री–क्वालिफिकेशन टेक्निकल बिड एवं प्राइस–बिड/फाइनेन्शियल बिड, सिंचाई विभाग में वर्गीकृत श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 24.06.2019 को अपरान्हन् 11:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। प्री–क्वालिफिकेशन टेक्निकल बिड/दिनांक 25.06.2019 को पूर्वान्ह 10:00 बजे अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड–खलीलाबाद के कार्यालय में मुख्य अभियन्ता सरयू परियोजना द्वितीय सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, गोण्डा द्वारा निर्धारित समिति द्वारा ऑन लाइन खोली जायेंगी। निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र उ0प्र0 की वेबसाइट **http://upgov.nic.in** तथा सिंचाई विभाग की वेबसाइट **http://idup.upgovt.in** पर से दिनांक 18.06.2019 से दिनांक 24.06.2019 तक 11:00 बजे तक निविदा अपलोड की जायेगी। सूचना विभाग एवं प्री–क्वालीफीकेशन बिड में उपर्युक्त पाये गये निविदादाताओं के प्राइस–बिड/फाइनेशियल बिड दिनांक 27.06.2019 को पूर्वान्ह 10:00 बजे खोली जायेंगी। कार्यालय बन्द होने या छुट्टी होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में उसी समय प्राप्त की जायेंगी। किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी आने की दशा मे विभाग/खण्ड की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

| क्र0 सं0 | संगठन का नाम | कार्य का विवरण | कार्य की अनुमानित लागत (लाख रू0 में) | मात्रा | धरोहर धनराशि (लाख रू0 में) | कार्य पूर्ण करने की अवधि | निविदा प्रपत्र का मूल्य + जी0एस0टी0 18% + स्टेशनरी चार्ज (रूपये में) | पंजीकृत श्रेणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | सरयू परियोजना– द्वितीय गोण्डा | भॅटपार राजवाहा के किमी0 0.000 से किमी0 17.600 तक पुर्नस्थापना हेतु मिट्टी का कार्य। | 35.00 | बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार | 0.70 | 01 माह | 300 + 54 + 1000 | "सी " या उच्च |
| 2 | | विशुनपुर राजवाहा के किमी0 0.000 से किमी0 6.600 तक पुर्नस्थापना हेतु मिट्टी का कार्य। | 29.00 | बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार | 0.58 | 01 माह | 300 + 54 + 1000 | "सी " या उच्च |
| 3 | | मुगरहा माइनर के किमी0 1.150 पर वी0आर0बी0 का निर्माण कार्य। | 6.00 | बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार | 0.12 | 01 माह | 225 + 41 + 1000 | "सी " या उच्च |
| 4 | | पत्तीचक माइनर के किमी0 0.800 पर वी0आर0बी0 का निर्माण कार्य। | 6.00 | बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार | 0.12 | 01 माह | 225 + 41 + 1000 | "सी " या उच्च |

**शर्तें :–**

1 यह निविदा/बिड सूचना उत्तर प्रदेश की वेबसाइट **http://upgov.nic.in** सूचना विभाग की वेबसाइट **http://information.up.nic.in** तथा सिंचाई विभाग की वेबसाइट **http://irrigation.up.nic.in** पर भी उपलब्ध है।

2 यह निविदा सूचना एवं प्रपत्र वेबसाइट **http://etender.up.nic.in/**पर उपलब्ध है। निविदा के साथ सिंचाई विभाग की निर्धारित श्रेणी में पंजीकरण प्रमाण पत्र (IDT-1) (IDT-2) (IDT-3) व अन्य प्रपत्र/अभिलेख की स्कैन्ड प्रति संलग्न किया जाना तथा उपरोक्त वेबसाइट पर ऑन लाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा। वेबसाइट से ड्राइंग उपलब्ध न हो सकने की स्थिति में वह सम्बन्धित खण्ड के कार्यालय से ड्राईंग आदि प्राप्त कर सकेंगे।

3 पंजीकरण प्रमाण पत्र, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, (IDT-1) हैसियत प्रमाण पत्र (IDT-2) स्वः घोषणा शपथ पत्र (IDT-3) को निविदा खोलने के समय मूल रूप में उपलब्ध कराना अनिवार्य है, तथा समस्त पत्रों की स्कैन्ड कापी निविदादाता द्वारा अपनी निविदा के साथ ई–टेन्डर पोर्टल पर भी अपलोड करना होगा।

4 निविदा/बिड की विस्तृत शर्तें निविदा/बिड प्रपत्र के साथ उपलब्ध होंगी।

5 निविदादाता को यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 लखनऊ में ई–टेण्डरिंग हेतु पंजीकृत होना आवश्यक होगा। उक्त कारपोरेशन के माध्यम से ई–टेण्डरिंग हेतु प्रशिक्षण की कार्यवाही पूर्ण करनी होगी।

6 निविदादाता को धरोहर धनराशि (वैधता अवधि 6 माह) टेण्डर सेल धनराशि GST सहित **दिनांक 25.06.2019** को अपरान्ह 12:00 बजे तक जमा करने होंगे, अन्यथा उनकी बिड को **Unresponsive** मानते हुये कोई विचार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त की स्कैन्ड कापी भी बिड के साथ ई–टेन्डर पोर्टल पर अपलोड करनी अनिवार्य होगी।

7 प्रत्येक निविदादाता को फाइनेन्शियल बिड (Financial/Price Bid) के साथ रू0 100/– जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर रू0 1/–का रसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना होगा कि दरें 90 दिवस तक मान्य होंगी। इससे पहले निविदा/आफर वापस लेने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। इसकी स्कैन्ड कापी ऑनलाइन निविदा के साथ जमा करनी है। देय G.S.T. आयकर, स्टैम्प ड्यूटी, रायल्टी, लेबर सेस आदि की कटौती नियमानुसार प्रचलित दर से देनी होगी। अनुबंध के समय नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी तथा शेष जमानत की धनराशि भी जमा करनी होगी।

8 अर्नेस्टमनी/धरोहर धनराशि, एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 अथवा नियमानुसार अनुमन्य अन्य प्रतिभूति के रूप में जो राष्ट्रीयकृत बैंक/अनूसूची बैंक द्वारा निर्गत हों एवं अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड–खलीलाबाद, सन्तकबीरनगर के पक्ष में बन्धक होना अनिवार्य है। जिला सहकारी बैंक का एफ0डी0आर मान्य नही होगा।

9 निविदा प्रपत्र मूल्य डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जो अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड–खलीलाबाद के नाम से हो मान्य होगा।

10 कार्यस्थल की आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा घटाई/बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

11 निविदादाता को उपरोक्तानुसार कार्यस्थल की पूर्ण जानकारी निविदा डालने से पूर्व स्वयं प्राप्त करनी होगी। निविदा प्रपत्र एवं कोई भी जानकारी सम्बन्धित खण्ड के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

12 निविदादाता/बिडर द्वारा निविदा डालते समय प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी/ट्रेनिंग अथवा किसी अन्य कारण से शर्तों को पूर्ण न कर पाने/बाधित हो जाने के कारण निविदा न पड़ने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

13 इस निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार बिना कारण बताये अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

14 यह संज्ञान में आने पर कि किसी निविदादाता द्वारा किसी अन्य सम्भावित निविदादाता को इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गयी हो तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबन्ध हो भी गया हो तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।

15 कोई निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।

16 निविदादाता एक कार्य की केवल एक ही निविदा क्रय कर सकेगा व डाल सकेगा।

17 राज्य बार काउन्सिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे।

18 यदि कोई निविदादाता निर्धारित विधि एंव प्रक्रिया के विरूद्ध अनुबन्ध करने हेतु सक्षम अधिकारी पर दबाव/असम्यक असर डालता है तो प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम निविदा की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकेगी।

19 विशेष परिस्थितियों में निविदा खोलने की तिथि/समय में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना ऑन–लाइन/नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध करा दी जायेगी।

20 प्राप्त सभी निविदा प्रपत्रों का पहले यह परीक्षण किया जायेगा कि निविदादाता ने IDT-1, IDT-2, IDT-3 तथा निर्धारित प्रतिभूति धनराशि एवं अनुभव प्रमाण पत्र ठीक–ठीक उपलब्ध कराये गये हैं या नहीं। इनमें किसी प्रकार की कमी या असन्तोषजनक होने की स्थिति में निविदातादाता द्वारा दी गयी दरें तुलनात्मक विवरण में अंकित नहीं की जायेगी।

21 अनुबन्ध गठित होने के पश्चात् भी यह तथ्य संज्ञान में आता है कि किसी भी स्तर पर नियमों एवं शर्तों का उल्लघंन किया गया है तो ऐसे अनुबन्ध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर निरस्त किया जायेगा।

22 अन्य शर्ते एवं कार्य स्थल का विवरण निविदा प्रपत्र एवं अर्हता निर्धारण प्रपत्र (प्री–क्वालिफिकेशन टेक्निकल बिड) में संलग्न है।

23 निविदा से सम्बन्धित विस्तृत एवं अन्य जानकारी कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड खलीलाबाद सन्तकबीरनगर से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

24 शासनादेश संख्या–622/23–12–2012–2 आडिट/08, टी0सी0 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार कार्य की विभागीय दरों से ठेकेदारों द्वारा दी गई निविदत्त दरे 1% से 10% तक कम होने पर 0.5% प्रति 1% की कमी पर एवं 10% से अधिक दरों की कमी पर 1% प्रति 1% की कमी पर अतिरिक्त परफारमेंस धरोहर धनराशि देय होगी। यह परफारमेंस धरोहर धनराशि निविदा में उल्लिखित धरोहर धनराशि के अतिरिक्त देय होगी तथा अनुबन्ध के समय उक्त परफारमेंस धरोहर धनराशि जमा करने की बाध्यता होगी, विभाग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य कराने में असफल रहने पर धरोहर धनराशि तथा परफारमेंस धरोहर धनराशि विभाग द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

25 उक्त निविदा बजट आवंटन की प्रत्याशा में निकाली गयी है। बजट आवंटन के उपरान्त ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी।

26 निविदा प्रपत्र, वैयक्तिक मालिकाना फर्म, भागीदारी फर्म, पब्लिक/प्राईवेट कम्पनी द्वारा निम्न जानकारी की स्कैन्ड प्रतिलिपि को प्री–क्वालीफिकेषन टेक्निकल बिड, के साथ ई–टेण्डरिंग पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
(क)– वैध पंजीयन की प्रति।
(ख)– संस्था के प्रकरण में पार्टनरशिप डीड के अनुबन्ध की अभिप्रमाणित प्रति।
(ग)– पैन कार्ड/ G.S.T.पंजीयन ।

27 सिंचाई विभाग में कार्यरत किसी अधिकारी/कर्मचारी के सगे–सम्बन्धी ठेकेदार इस निविदा को खरीद एवं डाल नहीं सकते हैं, ऐसा पाये जाने पर उनकी निविदा निरस्त कर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

28 Rates quoted by the contractor for earthwork will be inclusive of manual compaction. In case manual compaction is not done properly, the deduction @ Rs. 7.50 per cum will be done from contractor's bill.

29 The Contractor should quote the rate filling including Labour cess/ G.S.T. as the same will be deducted from his bill as per applicable at the time of execution work and will be credited to proper head of accont.

30 Contractor shall not take out earth from departmental permanent land beyand bank toe. if default's a recovery @ Rs. 20.00 per cum shall be made from his bill .

31 **Financial Soundness (Profitability)-**The bidder shall submit audited financial statements supported by Income Tax Returns for the last financial years to demonstrate the current soundness of the Bidder's financial position and its prospective long-term profitability.

32 **Similar Work-** Bidder should have executed at least one number of similar works from each of the following works such as Earth work in constructing Bund/Dam or canal construction.

Kumar 11/6/19
**अधिशासी अभियन्ता**
**सरयू नहर खण्ड–खलीलाबाद**
**सन्त कबीर नगर**